आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–56 / 2017–18 राज्य बनाम सत्यम कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक की गई कार्रवाई पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	**<u>आदेश</u>** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2028 / डी0शा0, दिनांक 28.06.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम –2016 के अन्तर्गत महेशखूँट थाना कांड संख्या–64 / 17 में वादी पु0अ0नि0 श्री राज किशोर सिंह महेशखूँट थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बिना रजिस्ट्रेशन का टी0भी0एस0 अपाची जिसका इंजन नं0–8Eucm2019802 चेचिस नं0–MD63UBEU3HZC17983F.T.F-160C.C है, चालक सत्यम कुमार पे0 जंगली यादव, साकिन–ठाठा के पीठ पर एक काले रंग का बैग से 180 एल0एल0 का 170 (एक सौ सत्तर) बोतल आफिसर च्वाईस एवं 500 एल0एल0 का 08(आठ) बोतल बियर बरामद किया गया है। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती सूची के अनुसार गुप्त सूचना परं एन0एच0–31 से भागलपुर की ओर से एक लड़का काला रंग का अपाची मोटर साईकिल से सवार होकर अपने पीठ पर एक काला रंग का पीठू बैग एवं मोटर साईकिल के पीछे सीट पर भूरा (लाल) रंग का बैग में शराब लेकर आ रहा है। जिसका सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई करने थाना के रिजर्व बल के साथ घटना स्थल एन0एच0 31 गढ़मोहनी ढाला के पास जाकर पूरब की ओर से आने वाली दो पहिया वाहन को चेकिंग कर रहे थे उसी क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त सत्यम कुमार पे0 जंगली यादव सा0–ठाठा थाना–मानसी जिला–खगड़िया को चेकिंग के दौरान रोका गया एवं विधिवत तलासी लिया गया तो उसके पीठ पर पीठू बैग	

एवं T.V.S अपाची मोटर साईकिल काला रंग बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगा हुआ जिसका इंजननं0–8Eucm2019802 चेचिस MD63UBEU3HZC17983F.T.F-160C.C के पीछे सीट पर रखा बैग में 170 (एक सौ सत्तर) बोतल जिसमें एक बोतल में 180 M.L (एम0एल0) कुल वजन 30,600.00 (तीस हजार छः सौ) एम0एल0 जप्त किया गया।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

विपक्षी सत्यम कुमार पे0 जंगली यादव सा0–ठाठा, थाना–मानसी, जिला–खगड़िया को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक 6.10.2017 को सूचना के माध्यम से सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु सूचना प्रकाशित कराया गया। लेकिन सूचना प्रकाशन के बाद भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।

डी0बी0नं0–166/विधि, दिनांक 06.07.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी तथा डी0बी0नं0–194/विधि, दिनांक 26.07.2017 से स्मारित किया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 1121/परि, दिनांक 04.08.2017 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि चेसिस नं0–MD63UBEU3HZC178F.T.C इंजन नं0–8EUCM2019802 वाहन का निवंधन उनके कार्यालय से नहीं किया गया है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2028/ही0शा0, दिनांक 28.06.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 महेशखूँट थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन चेचिस नं0–MD63UBEU3HZC178F.T.C इंजन नं0–8EUCM2019802 जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम,

योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि चेचिस नं00–MD63UBEU3HZC178F.T.C इंजन नं0–8EUCM2019802 का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन चेचिस नं0–MD63UBEU3HZC178F.T.C इंजन नं0–8EUCM2019802 मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन चेचिस नं0–MD63UBEU3HZC178F.T.C इंजन नं0–8EUCM2019802 जो जप्त कर महेशखूंट थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन चेचिस नं0–MD63UBEU3HZC178F.T.C इंजन नं0–8EUCM2019802 का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
	डी० बी० नं०.....415...../विधि, दिनांक 6/11/2017...... प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, 6/11/17 खगड़िया।	